विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,051.61 करोड़के वित्तीय प्रभाव के कर/शुल्क के नहीं/अल्पारोपण/हानि से संबंधित तीन समीक्षाओं सहित 32 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिसमें ₹ 889.18 करोड़के लेखापरीक्षा अवलोकनों को सरकार/विभाग ने स्वीकार कर लिया है। ₹ 1,051.61 करोड़में ₹ 653.95 करोड़ वसूलनीय है तथा शेष राशि ₹ 397.66 करोड़ अधिनियमों/नियमों की खामियों, मानदण्डों के अपालन/मानदण्डों के निर्धारण नहीं किए जाने के कारण सरकार को सैद्धान्तिक क्षति हुई। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2009-10 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 15,118.47 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010-11 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 18,781.12 करोड़ थीं। कर राजस्व के ₹ 5,716.63 करोड़ और कर-भिन्न राजस्व के ₹ 2,802.89 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 8,519.52 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 10,261.60 करोड़ (विभाज्य संघीय करों से राज्य का हिस्साः ₹ 6,154.35 करोड़ और सहायता-अनुदानः ₹ 4,107.25 करोड़) प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का 45 प्रतिशत ही सृजित कर सकी। वर्ष 2010-11 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,473.43 करोड़) और अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (₹ 2,055.90 करोड़) क्रमशः कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य स्रोत थे।

(कंडिका 1.1)

दिसम्बर 2010 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या जिसका निपटारा जून 2011 तक नहीं हो पाया था, क्रमशः 1,998 एवं 9,320 थी, जिसमें ₹ 11,500.30 करोड़ सन्निहित थे। वर्ष 2010 के दिसम्बर तक निर्गत 505 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के भीतर उनका उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.2.1)

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान सरकार/विभागों ने ₹ 584.16 करोड़ के राजस्व प्रभाव के आपत्तियों को स्वीकार किया (लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताये गये कुल ₹ 3,363.53 करोड़ की टिप्पणियों में से) जिसमें ₹ 869.30 करोड़ की वसूली 31 मार्च 2011 तक की गयी ।

(कंडिका 1.2.6)

वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत शुल्क, खान एवं भूतत्व, वन तथा अन्य कर - भिन्न प्राप्तियों के 116 इकाईयों के अभिलेखों की 2010-11 में की गयी नमूना जाँच से 10,833 मामलों में सन्निहित ₹ 1,369.85 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि प्रकाश में आये। इस वर्ष के दौरान संबद्ध विभागों ने 7,632 मामलों में सन्निहित ₹ 932.93 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

(कंडिका 1.5.1)

II. मूल्य वर्द्धित कर/बिक्री, व्यापार आदि पर कर

"अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता" पर एक समीक्षा से निम्न उद्घटित हुआ:

- केन्द्रीय घोषणा प्रपत्रों के भौतिक सत्यापन के लिए कोई पद्धति नहीं थी जिसके फलस्वरूप इन प्रपत्रों की संख्या में कमी और इनके दुरूपयोग का जोखिम था। यह राजस्व की हानि की संभावना से संबद्ध है।

(कंडिका 2.10.7 और 2.10.8)

- टैक्स इनफॉरमेशन एक्सचेंज सिस्टम (टिनेक्सिस) की वेबसाइट पर आँकड़ों को अपलोड नहीं किया गया।

(कंडिका 2.10.10.3)

- विवरणियों की संवीक्षा के क्रम में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता का सत्यापन नहीं होने के फलस्वरूप ₹ 2.40 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 3.55 करोड़ का केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) का नहीं/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.10.12)

- अन्य राज्यों से प्राप्त किए गये आँकड़े/सूचनाओं की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान राज्य की चार वाणिज्यकर अंचलों के चार व्यवसायियों के द्वारा ₹ 8.51 करोड़ के क्रय/भंडार प्राप्ति का नहीं/कम लेखापित किया गया, जिसके फलस्वरूप ₹ 2.04 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2.86 करोड़ के के.बि.क. का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.10.13.1 और 2.10.13.2)

- अन्य राज्यों से प्राप्त किए गये आँकड़े/सूचनाओं की तिर्यक जाँच से पता चला कि वर्ष 2006-08 के दौरान राज्य के पाँच वाणिज्यकर अंचलों के नौ व्यवसायियों के द्वारा ₹ 24.62 करोड़ के विक्रय आवर्त्त का नहीं/कम लेखापित किए जाने के फलस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2.96 करोड़ के के.बि.क. का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.10.13.3)

- नौ वाणिज्यकर अंचलों के 20 व्यवसायियों के कर निर्धारण में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा गलत रियायत/छूट की अनुमति देने के फलस्वरूप ₹ 24.10 करोड़ के के.बि.क. का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.10.14.1)

- वर्ष 2003-04 से 2008-09 के दौरान अन्य राज्यों से ₹ 28.56 करोड़ मूल्य के खाद्य तेल, लौह अयस्क, मोटर पार्टस, संगमरमर एवं फास्ट मुविंग कमोडिटी गुड्स (एफ. एम.सी.जी.) का क्रय/भंडार प्राप्तियों की तिर्यक जाँच से राज्य के 15 वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 47 व्यवसायियों के द्वारा 96 अनधिकृत प्रपत्र सी और 21 अनधिकृत प्रपत्र एफ के उपयोग का पता चला जिसके फलस्वरूप ₹ 3.48 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 4.88 करोड़ के के.बि.क. का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.10.14.3)

- विवरणियों के दाखिल करने के क्रम में घोषणा प्रपत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं बनाये जाने के कारण 13 व्यवसायियों के मामले में ₹ 53.17 करोड़ के ब्याज और अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.10.15)

विभिन्न विभागों से आँकड़े/सूचनाओं के संग्रहण एवं विवरणियों में दर्शाये गये लेन-देन की तिर्यक जाँच में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.05 करोड़ रूपये के अर्थदण्ड सहित ₹ 7.68 करोड़ का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(कंडिका 2.12)

विक्रय/क्रय आवर्त्त के निर्धारण में अनियमितताओं के परिणामस्वरूप ₹ 178.10 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.13)

चार वाणिज्य कर अंचलों में 10 निर्धारितियों के मामले में कर के गलत दर के लागू करने के फलस्वरूप ₹ 9.66 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.14)

तीन वाणिज्यकर अंचलों में तीन निर्धारितियों के मामलें में अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 1.02 करोड़ की अनुमति के फलस्वरूप ₹ 2.04 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 3.06 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.15)

चार वाणिज्यकर अंचलों में छः निर्धारितियों के मामले में अनियमित छूट की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 11.99 करोड़ का कर कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 2.16)

III. राज्य उत्पाद

छ उत्पाद जिलों में 163 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब के कम उठाव के फलस्वरूप ₹ 8.63 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.9)

11 उत्पाद जिला में थोक एवं खुदरा उत्पाद दुकानों के अनवीकरण एवं नहीं/विलम्बित बंदोबस्ती के फलस्वरूप ₹ 99.47 करोड़ के उत्पाद राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.10 एवं 3.11)

एक उत्पाद जिला में 38 खुदरा उत्पाद दुकानों के मामले में, सुरक्षित जमा फीस के गलत निर्धारण के फलस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ के अनुज्ञा फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(कंडिका 3.12)

IV. वाहनों पर कर

"परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण" पर एक समीक्षा से निम्न उद्घटित हुआ:

- परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण जिला परिवहन कार्यालयों, क्षे.प.प्रा. एवं रा.प.प्रा. कार्यालयों तक ही सीमित था जिसके फलस्वरूप अन्य परिवहन कार्यालयों जैसे मोटर वाहन निरीक्षकों एवं चेक पोस्ट में कम्प्यूटरीकरण नहीं हो सका।

(कंडिका 4.8.6)

- कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड की संगणना तथा भरण हस्तचालित तरीके से की जा रही थी जो अनुप्रयोग में कार्य नियमों के मानचित्रण की अपूर्णता को दर्शाता है।

(कंडिका 4.8.9.4)

- 5,249 मामलों में कर के भुगतान की अवधि में तीन से 298 महीने का अंतराल दर्शाता है कि अनुप्रयोग के तालिका में कर के भुगतान नहीं करने के ऐसे मामलों को अच्छी तरह से अंकित नहीं किया गया।

(कंडिका 4.8.9.7)

- टैक्स_अपटू _डेट क्षेत्र में हस्तचालित कार्य होने के कारण कर की अनियमित समाशोधन अनुप्रयोग में इनपुट का कम नियंत्रण दर्शाती है।

(कंडिका 4.8.9.8)

19 जिला परिवहन कार्यालयों में 2,834 कर बकाया वाहनों के स्वामियों के विरूद्ध 2006-07 एवं 2010-11 के मध्य की अवधि के लिए माँग पत्र निर्गत नहीं किया गया, फलस्वरूप ₹ 11.11 करोड़ के बकाये कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(कंडिका 4.10.1 एवं 4.10.2)

दो जिला परिवहन कर्यालयों में 12 वाहनों के मामले में, अभ्यर्पण की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया, फलस्वरूप ₹ 8.60 लाख का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(कंडिका 4.13)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

जि.अ.नि. कार्यालय, जमशेदपुर में पट्टा दस्तावेजों के स्थानान्तरण को विक्रय दस्तावेजों के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया। इसके फलस्वरूप सरकारी भूमि के विक्रय दस्तावेजों का गलत क्रियान्वयन हुआ और दोषी कर्मचारियों/पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण भी नहीं किया गया।

(कंडिका 5.8)

विद्युत शुल्क

एक वाणिज्यकर अंचल में गलत दर से विद्युत शुल्क आरोपित किये जाने के कारण ₹ 48.06 लाख के विद्युत शुल्क का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 5.9)

VI. खनिज रियायत, शुल्क एवं रॉयल्टी

चार खनन कार्यालयों में पाँच पट्टेधारियों के मामले में भण्डार के छिपाव एवं दरों/ केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित फॉर्मुला के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ 20.30 करोड़ के रॉयल्टी का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 6.8)

एक खनन कार्यालय के दो पट्टेधारियों द्वारा दाखिल विवरणियों की रेलवे द्वारा लौह-अयस्क के संप्रेषित आँकड़ों के तिर्यक जाँच से 12.18 लाख मीट्रिक टन का छिपाव उद्घटित हुआ। इसके फलस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ के रॉयल्टी का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 6.10)

VII. अन्य कर - भिन्न प्राप्तियाँ

"वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्तियाँ" पर एक समीक्षा से निम्न उद्घटित हुआ:

- 2005-10 के दौरान सिंचाई के लक्ष्य की अप्राप्ति के परिणामस्वरूप 3.59 लाख हेक्टेयर तथा 8,943 हेक्टेयर क्रमश: खरीफ तथा रबी फसलों की सिंचाई नहीं हो सकी तथा ₹ 6.34 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

  (कंडिका 7.6.8)

- 2005-10 में सिंचाई उपलब्ध कराये जाने के बावजूद खरीफ एवं रबी फसल के क्रमश: 1.54 लाख हेक्टेयर तथा 37,142 हेक्टेयर के लिए सूदकर तैयार नहीं किये जाने के कारण ₹ 3.21 करोड़ राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी।

  (कंडिका 7.6.9)

- 2005-10 के दौरान सिंचाई के लिए प्रति रूपये जल दर के संग्रहण पर स्थापना व्यय ₹ 9.13 से ₹ 35.31 के बीच रहा।

  (कंडिका 7.6.10)

- माँग की अत्यन्त कम वसूली के कारण सरकार प्रयोक्ताओं से ₹ 384.77 करोड़की वसूली नही कर सकी। इसके अलावा, बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत मेसर्स दक्षिण पूर्व रेलवे, हटिया, राँची का ₹ 1.01 करोड़के मामले के अतिरिक्त कोई नीलामपत्र वाद दाखिल नहीं किया गया।

  (कंडिका 7.6.11.1)

- प्रयोक्ता अभिकरण व्यावसायिक तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए या तो बिना एकरारनामा के या एकरारनामा किये गये परिमाण से अधिक जल की आपूर्ति ले रहे थे जिसके लिए प्रमण्डलों के द्वारा कोई माँग सृजित नहीं हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 124.84 करोड़ के माँग का सृजन नहीं/कम हुआ।

  (कंडिका 7.6.14)

वन प्राप्तियाँ

चार वन प्रमण्डलों में दावारहित जब्त वनोत्पादों एवं वन भूमि से अवैध रूप से निष्कासित खनिजों के निष्पादन नहीं होने के फलस्वरूप ₹ 17.44 लाख का राजस्व अवरूद्ध रहा।

(कंडिका 7.7 एवं 7.8)